

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12037/2025

Mohammad Jaban Alias Mame Khan Alias Dilwale S/o Sultan Khan Alias Tani, Aged About 27 Years, Resident Of Dhani Chak 8 S.G.M. Sardargarh Police Station Suratgarh Sadar District Sri Ganganagar Rajasthan (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. SR Godara

For Respondent(s) : Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

08/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद जबान उर्फ मम्मे खां उर्फ दिलवाले की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, धारा 3/25 आयुध अधिनियम व धारा 188 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त के निवेदनानुसार इस न्यायालय की पूर्व आदेशिका दिनांकित 01.09.2025 द्वारा अनुसंधान अधिकारी के कथन लेखबद्ध हो जाने के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जरिए विद्रोवल निस्तारित किया जा चुका है।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त तथा योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त को सहअभियुक्त नाजम खां के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी बताई गई है और उसके कथनों के आधार पर ही प्रार्थी-अभियुक्त को घटना में मिथ्या संलिप्त किया गया है, जबकि सहअभियुक्त नाजम खां का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 23.04.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। इस प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 07.10.2024 से गिरफ्तार होकर काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के कथन भी लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.03.2024 को मनजीत कौर उपनिरीक्षक कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर मय जाप्ता गश्त करते हुए वक्त 06:00 पी.एम. पर एन.एच.62 से सरदारगढ़ जाने वाली लिंक रोड पर थोड़ा आगे कृषि फार्म की दीवार के पास पहुंची तो सामने से एक व्यक्ति अपने कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लिए आता दिखाई दिया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम नाजम खां होना बताया। तत्पश्चात् उसके कब्जे से ही मिले कट्टे का मुह खोलकर चैक किया गया तो कट्टे में NRX Tramadol HCL Tablets 100 mg Clowidal-100 का एक डिब्बा है। डिब्बे को खोलकर देखा गया तो डिब्बे में 10 स्ट्रीप एक स्ट्रीप में 05 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 10 टेबलेट, इस प्रकार डिब्बे में 500 टेबलेट हुई। NRX Tramadol Sustained Release Tablets IP CLOVEDOL 100 SR Tablets की स्ट्रीप है, जिनको गिना गया तो कुल 06 स्ट्रीप है। एक स्ट्रीप में

05 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 10 टेबलेट है। इस प्रकार एक स्ट्रीप 50 टेबलेट व 06 स्ट्रीप में कुल 300 टेबलेट हुई। NRX Tramadol Hydrochloride Sustained Release Tablets P 100 mg के पत्ते हैं, जिनको गिना गया तो कुल 50 पत्ते, प्रत्येक पत्ते में 10 टेबलेट है, 50 पत्तों में कुल 500 टेबलेट हुई। उक्त सभी टेबलेट एन.डी.पी.एस. घटक की है व प्रेगाबलिन कैप्सूल के डिब्बे भरे हुए हैं। डिब्बों को गिन गया तो कुल 14 डिब्बे हैं। डिब्बों को खोलकर देखा गया तो प्रत्येक डिब्बे में 20 प्रत्येक-प्रत्येक पत्ते में 10 कैप्सूल हैं। इस प्रकार एक डिब्बे में 200 कैप्सूल व 14 डिब्बों में 280 पत्तों में कुल 2800 कैप्सूल हैं। शख्स के पहने कोट के अंदर की तरफ लगी बायीं जेब में एक अवैध देशी कट्टा मिला। शख्स से अवैध देशी कट्टा रखने हेतु अनुज्ञा पत्र बाबत् पूछा तो नहीं होना बताया। नाजम खां के कब्जे में मिली नशीली टेबलेट, प्रतिबंधित प्रेगाबलिन कैप्सूल व संभावित 12 बोर देशी कट्टा किससे खरीद किया है, बाबत् पूछा तो नाजम खां ने बताया कि करीब 10-11 दिन पहले उक्त नशीली टेबलेट व प्रेगाबलिन कैप्सूल मोहम्मद जुबान उर्फ मम्मे खां उर्फ दिलवाले से खरीदकर लाया था। इस प्रकार प्रार्थी-अभियुक्त को मुख्य सहअभियुक्त के कथनों के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। पी.डब्ल्यू.01 सतीश कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि प्रदर्श पी.11 जब उसके द्वारा बनाई गई, तब अभियुक्त नाजम खां उसकी हिरासत में था और इस बात को भी स्वीकार किया कि मुलजिमान की कॉल डिटेल, में जो अन्य नंबर है, उसमें से किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की है और दोनों ही नंबरों की कोई रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 01.03.2024 से 10.03.2024 तक मोबाइल नंबरों का उपयोग व उपभोग कौन कर रहा था, इस संबंध में गवाह द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त मोहम्मद जबान खां से मोबाइल नंबर व सिम की बरामदगी नहीं हुई थी। गवाह द्वारा इस बात को भी सही बताया गया है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार की वाट्सएप कॉल, मैसेज कभी भी प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया था और ना ही उसके अनुसंधान में ऐसा कोई वाट्सएप कॉल व मैसेज मिला है। यह भी स्वीकार किया गया कि अभियुक्त नाजम खां के मोबाइल में कोई वाट्सएप कॉल या मैसेज चैट नहीं मिला और ना

ही मोहम्मद जबान खां व नाजम खां के बीच किसी प्रकार का कोई लेन-देन बैंक खाते में हुआ। इस प्रकार जिस मुख्य सहअभियुक्त नाजम खां के कथनों के आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है, उस संदर्भ में उक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्त एवं सहअभियुक्त के बीच की कोई वाट्सएप कॉल अथवा मैसेज नहीं मिले थे। प्रकरण में सहअभियुक्त नाजम खां का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 23.04.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। इस प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 07.10.2024 से गिरफ्तार होकर काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद जबान उर्फ मम्मे खां उर्फ दिलवाले को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **मोहम्मद जबान उर्फ मम्मे खां उर्फ दिलवाले पुत्र सुलतान खां उर्फ तानी** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J